

सेंट एग्रेस मेडिकल सेंटर नीति सं. 1

Trinity Health मिरर पॉलिसी
वित्त नीति सं. 1

प्रभावी तिथि: 20 फरवरी, 2024

नीति का शीर्षक:

रोगियों को वित्तीय सहायता और
रियायती भुगतान

प्रत्येक तीन वर्ष में निम्नलिखित द्वारा
समीक्षा की जाएगी: मिनिस्ट्री
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स

समीक्षा कब तक की जानी है: 1 मार्च, 2027

नीति

मिनिस्ट्री (और प्रत्येक ट्रिनिटी स्वास्थ्य मंत्रालय) की नीति है कि वह वित्तीय सहायता, रियायती भुगतान पात्रता और भुगतान योजना विकल्पों संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखे ताकि आपातकालीन और सभी चिकित्सा आवश्यक सेवाओं के लिए रोगियों की सहायता की जा सके जो लागू राज्य या संघीय कानून के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं। मिनिस्ट्री से वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान की पात्रता और सहायता का निर्धारण रोगी और/या परिवार की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं, वित्तीय संसाधनों और दायित्वों के मूल्यांकन और आकलन के साथ-साथ विस्तृत मानदंडों का उपयोग करके व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है। Trinity Health उन व्यक्तियों से सेवाओं के लिए भुगतान की अपेक्षा करता है जो भुगतान करने में सक्षम हैं (जैसा कि इस नीति में परिभाषित किया गया है)।

I. वित्तीय सहायता रियायती भुगतान पात्रता और भुगतान योजना के लिए पात्रता मानदंड

इस अनुभाग में वर्णित वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता मरीजों को प्रदान की जाती है (जैसा कि इस नीति में परिभाषित किया गया है)। इसके अतिरिक्त, मिनिस्ट्री उन रोगियों को वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता प्रदान करेगा जो मिनिस्ट्री की वित्तीय सहायता नीति (FAP) के तहत अर्हता प्राप्त करते हैं और जो आपातकालीन या जीवन-संकटग्रस्त स्थिति के साथ आते हैं और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्राप्त करते हैं।

Trinity Health अस्पताल सुविधा में सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान की पात्रता प्रदान करेगा (जिसमें पर्याप्त रूप से संबंधित इकाई द्वारा अस्पताल सुविधा में प्रदान की गई सेवाएं शामिल हैं) और मिनिस्ट्री निम्नलिखित सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता प्रदान करेगा:

- A. स्वयं भुगतान करने वाले उन रोगियों के लिए सभी चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल और आपातकालीन चिकित्सा देखभाल,

1. जो वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए आवेदन करते हैं और इसके लिए पात्र पाए जाते हैं, तथा
 2. ऐसे रोगी जो वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए संभावित रूप से पात्र हैं।
- B. इस नीति में वर्णित अनुसार मिनिस्ट्री जिस भुगतानकर्ता/बीमाकर्ता के साथ भागीदारी करता है/अनुबंध करता है, उससे कवरेज प्राप्त रोगियों को कुछ भुगतान देय हैं।

आपातकालीन चिकित्सा देखभाल सेवाएं मिनिस्ट्री के अस्पताल के आपातकालीन विभाग में आने वाले सभी रोगियों को प्रदान की जाएंगी, भले ही रोगी की भुगतान करने की क्षमता या भुगतान का स्रोत कुछ भी हो। किसी भी भुगतान व्यवस्था के निर्धारण से पहले ऐसी चिकित्सा देखभाल तब तक जारी रहेगी जब तक रोगी की स्थिति स्थिर नहीं हो जाती।

कैलिफोर्निया हेल्थ एंड सेफ्टी कोड अनुभाग 127405(ए)(1)(बी) के अनुसार, एक आपातकालीन चिकित्सक जो किसी अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है, उसे बिना बीमा वाले रोगियों या उच्च चिकित्सा लागत वाले रोगियों को भी छूट प्रदान करना आवश्यक है जो संघीय गरीबी स्तर के 400 प्रतिशत या उससे नीचे हैं।

II. ऐसी सेवाएं जो वित्तीय सहायता या रियायती भुगतान के लिए पात्र नहीं हैं।

Trinity Health से वित्तीय सहायता, रियायती भुगतान या भुगतान योजना के लिए निम्नलिखित सेवाएं पात्र नहीं हैं:

- A. कॉस्मेटिक सेवाएं और अन्य वैकल्पिक प्रक्रियाएं और सेवाएं जो चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल नहीं हैं।
- B. वे सेवाएं जो मिनिस्ट्री द्वारा प्रदान नहीं की जातीं और जिनका बिल नहीं दिया जाता (जैसे, स्वतंत्र चिकित्सक सेवाएं, निजी ड्यूटी नर्सिंग, एम्बुलेंस परिवहन, आदि)।
- C. मिनिस्ट्री उन सेवाओं को छोड़ सकता है जो Trinity Health और/या सेंट एग्रेस के नेटवर्क से बाहर हैं और चिकित्सकीय रूप से आवश्यक नहीं हैं; बशर्ते कि संघीय आपातकालीन चिकित्सा उपचार और सक्रिय श्रम अधिनियम (EMTALA) के दायित्वों को पूरा किया जाए।

III. वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान के लिए पात्रता

Trinity Health से वित्तीय सहायता, रियायती भुगतान पात्रता के लिए निम्नलिखित रोगी पात्र नहीं हैं:

- A. बिना बीमा वाले रोगी जिनकी पारिवारिक आय संघीय गरीबी स्तर (FPL) के 200% या उससे कम है, वे प्राप्त सेवाओं के शुल्क पर 100% छूट के लिए पात्र होंगे।
- B. उच्च पारिवारिक आय छूट प्रतिशत वाले राज्यों में सेवाएं प्राप्त करने वाले बीमा रहित रोगी और बीमित रोगी भी प्राप्त सेवाओं के शुल्क पर छूट के लिए पात्र होंगे।
- C. जिन रोगियों की पारिवारिक आय FPL के 200% से अधिक है और FPL के 400% (या राज्य कानून

द्वारा अपेक्षित उच्चतर प्रतिशत, यदि लागू हो) से अधिक नहीं है, वे प्राप्त सेवाओं के शुल्क पर छूट के लिए पात्र होंगे। वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के इस स्तर के लिए पात्र रोगी से सामान्य रूप से बिल की गई गणना की गई राशि (AGB) से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

- D. जिन रोगियों की पारिवारिक आय FPL के 400% या उससे कम है, वे सह-भुगतान, कटौती योग्य और सह-बीमा राशि के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे, जो मिनिस्ट्री को, सद्भावनापूर्वक, मेडिकेयर या मेडी-कैल कार्यक्रमों में जो भी अधिक हो, से प्राप्त होने की उम्मीद है।

चिकित्सकीय दृष्टि से निर्धन रोगियों के लिए वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता भी प्रदान की जाती है। चिकित्सकीय रूप से निर्धन रोगी वह बीमित रोगी होता है जो वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान के लिए आवेदन करता है, और विपत्तिपूर्ण परिस्थितियों के कारण देखभाल के एक प्रकरण के लिए चिकित्सा व्यय परिवार की आय के 20% से अधिक हो जाता है। परिवार की आय के 20% से अधिक राशि (या राज्य कानून द्वारा आवश्यक कम प्रतिशत, यदि लागू हो) बीमित रोगी के सह-भुगतान, सह-बीमा और कटौती योग्य राशि को वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए योग्य बनाएगी। जिन व्यक्तियों के पास बीमा नहीं है, उनके लिए चिकित्सकीय रूप से निर्धन देखभाल के लिए छूट, ऊपर III.D में वर्णित राशि या प्रदान की गई सेवाओं के लिए मिनिस्ट्री के AGB या रोगी के अतिशय चिकित्सा व्यय को पारिवारिक आय अनुपात में 20% तक वापस लाने के लिए राशि में से जो अधिक हो, वह होगी।

IV. रोगियों से ली जाने वाली राशि की गणना का आधार

वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए पात्र रोगियों से आपातकालीन और अन्य आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के लिए AGB से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। Trinity Health इंटरनल रेवेन्यू कोड की धारा 501(r) के अनुसार, भुगतान किए गए मेडिकेयर दावों की राशि को प्रस्तुत सकल शुल्कों के योग से विभाजित करके AGB की गणना करने के लिए लुक-बैक पद्धति का उपयोग करता है।

AGB गणना विवरण और प्रतिशत की एक प्रति मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर या रोगी व्यवसाय सेवा केंद्र पर 800-494-5797 पर कॉल करके निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

V. वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए आवेदन करने की विधि

रोगी FAP आवेदन प्रस्तुत करके या अनुमानित स्कोरिंग पात्रता के माध्यम से वित्तीय सहायता, रियायती भुगतान पात्रता या भुगतान योजना के लिए अर्हता प्राप्त कर सकता है। पात्रता, सेवा की तिथि पर रोगी और/या परिवार की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं, वित्तीय संसाधनों और दायित्वों के मूल्यांकन पर आधारित है। पात्र पाए जाने वाले रोगी को सेवा की पहली तारीख से छह महीने के लिए वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए पात्र माना जाएगा, जिसके लिए रोगी को वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए पात्र माना जाता है।

वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान की पात्रता के लिए, आवेदन प्रक्रिया के दौरान, यदि लागू हो, रोगी के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने सहित FAP आवेदन को पूरा करना भी शामिल है। मिनिस्ट्री रोगियों को सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने में सहायता करने के लिए सकारात्मक प्रयास करेगा, जिसके लिए वे अर्हता प्राप्त कर सकते हैं और जो उन्हें स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्राप्त करने और उनका भुगतान करने में सहायता कर सकते हैं। यदि किसी रोगी को वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता प्राप्त करने के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो मिनिस्ट्री सीमित समय के लिए प्रीमियम सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

मिनिस्ट्री उन रोगियों को सूचित करेगा जो अधूरा FAP आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तथा आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी और/या दस्तावेज निर्दिष्ट करेगा, जो 30 दिनों के भीतर

उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

यदि रोगी FAP आवेदन में सहयोग नहीं करता है तो मिनिस्ट्री वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

जो रोगी वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे निम्नानुसार FAP आवेदन की निःशुल्क प्रति प्राप्त कर सकते हैं:

- A. प्रवेश, आपातकालीन विभाग, या जहां सेवा प्रदान की गई थी वहां के वित्तीय परामर्शदाता से FAP आवेदन की एक प्रति का अनुरोध करें;
- B. मिनिस्ट्री की वेबसाइट से FAP आवेदन डाउनलोड करें और प्रिंट करें;
- C. वेबसाइट पर पोस्ट किए गए वर्तमान पते पर रोगी व्यवसाय सेवा केंद्र को लिखित अनुरोध प्रस्तुत करें और FAP के लिए नोटिस और आवेदनों में शामिल करें; या
- D. रोगी व्यवसाय सेवा केंद्र को 800-494-5797 पर कॉल करें या वेबसाइट पर दिए गए वर्तमान फोन नंबर पर कॉल करें तथा FAP के लिए नोटिस और आवेदन में शामिल करें।

VI. पात्रता निर्धारण

Trinity Health, वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए रोगियों को योग्य बनाने के लिए एक पूर्वानुमान मॉडल का उपयोग करेगा। वित्तीय सहायता के लिए संभावित पात्रता और रियायती भुगतान पात्रता का निर्धारण राजस्व चक्र के किसी भी बिंदु पर किया जा सकता है।

यदि किसी रोगी को वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए पात्र नहीं पाया जाता है या वह FAP के तहत उपलब्ध सबसे उदार सहायता से कम के लिए पात्र है, तो Trinity Health:

- A. पात्रता निर्धारण के आधार के बारे में रोगी को सूचित करें तथा रोगी किस प्रकार FAP के अंतर्गत उपलब्ध अधिक उदार सहायता के लिए अपील या आवेदन कर सकता है;
- B. रोगी को सूचित करें कि वह किसी भी प्रतिकूल निर्णय की सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है, या अधिक उदार सहायता के लिए आवेदन कर सकता है, इसके लिए वह अपना अपील अनुरोध लिखित रूप में उस पते पर भेज सकता है जहां वित्तीय सहायता आवेदन प्राप्त होते हैं;
- C. किसी रोगी से प्राप्त किसी भी अपील को अग्रेषित करें किसी भी अपील अनुरोध को निम्नलिखित के ध्यानार्थ भेजें: *Trinity Health वित्तीय सहायता प्रबंधक, वित्तीय सहायता पात्रता विवाद/अपील*;; पात्रता विवादों को 312-871-3350 पर फैक्स भी किया जा सकता है।
- D. एक बार प्राप्त होने के बाद, विवादों का निर्णय Trinity Health के रोगी पहुंच के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा किया जाएगा और अंतिम निर्णय के लिए उन्हें संबंधित मंत्रालय के मुख्य वित्तीय अधिकारी को भेजा जाएगा।
- E. रोगी द्वारा प्रस्तुत किसी भी पूर्ण FAP आवेदन पर कार्रवाई करना।

VII. प्रभावी संचार

मिनिस्ट्री अपने सार्वजनिक स्थानों पर मिनिस्ट्री के FAP के बारे में बुनियादी जानकारी प्रदान करने वाले संकेत और ब्रोशर प्रदर्शित करेगा। मिनिस्ट्री FAP, सरल भाषा में सारांश और आवेदन पत्र को मिनिस्ट्री

की वेबसाइट पर पोस्ट करेगा तथा अनुरोध करने पर मिनिस्ट्री के FAP, सरल भाषा में सारांश और आवेदन पत्र को रोगियों के लिए उपलब्ध कराएगा।

VIII. बिलिंग और संग्रहण प्रक्रिया

मिनिस्ट्री रोगियों के भुगतान दायित्वों के लिए बिलिंग और संग्रहण प्रथाओं को लागू करेगा जो निष्पक्ष, सुसंगत और राज्य और संघीय विनियमों के अनुरूप होंगी। भुगतान न किए जाने की स्थिति में Trinity Health द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का विवरण एक अलग बिलिंग और संग्रहण प्रक्रिया में दिया गया है। बिलिंग और संग्रहण प्रक्रिया की एक प्रति, रोगी व्यवसाय सेवा केंद्र पर 800-494-5797 पर कॉल करके या ईमेल अनुरोध के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है। Trinity Health वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए निर्धारित व्यक्तियों के खिलाफ असाधारण संग्रह कार्रवाई के संबंध में निषेध के संबंध में 501(r) और लागू राज्य कानून का अनुपालन करता है। इसके अतिरिक्त, जब तक व्यक्ति भुगतान करने में सक्षम नहीं है, Trinity Health किसी निर्णय को एकत्र करने के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बंधक नहीं लगाएगा या व्यक्ति को क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट नहीं करेगा।

Trinity Health वित्तीय सहायता या छूट के बाद देय राशि से अधिक भुगतान की गई राशि को वापस कर देगा, जिसके लिए रोगी को पात्र माना जाता है, जिसमें लागू ब्याज भी शामिल है।

IX. प्रदाताओं की सूची

अस्पताल सुविधा में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल या चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल प्रदान करने वाले प्रदाताओं की एक सूची, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाता है कि कौन से प्रदाता वित्तीय सहायता, छूट भुगतान और भुगतान योजनाएं प्रदान करते हैं, जैसा कि FAP में वर्णित है, और कौन से नहीं, इस FAP से अलग से बनाए रखा जाता है। प्रदाता सूची की एक प्रति मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर या रोगी व्यवसाय सेवा केंद्र पर 800-494-5797 पर कॉल करके निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

X. अन्य छूट

जो रोगी इस नीति में वर्णित वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए पात्र नहीं हैं, तथा जो आपातकालीन या अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक/गैर-वैकल्पिक देखभाल प्राप्त करते हैं, वे मिनिस्ट्री द्वारा दी जाने वाली अन्य प्रकार की सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। अन्य प्रकार की सहायता आवश्यकता-आधारित नहीं होती है और वित्तीय सहायता नीति तथा रियायती भुगतान पात्रता का हिस्सा नहीं होती है तथा मिनिस्ट्री के विवेक पर प्रदान की जाती है।

दायरा / प्रयोज्यता

यह एक Trinity Health मिरर पॉलिसी है। अतएव, इस मिरर नीति को प्रत्येक मिनिस्ट्री और सहायक संस्था द्वारा अपनाया जाएगा जो अस्पताल में रोगी देखभाल प्रदान करती है या उसके लिए बिल बनाती है। यह मिरर नीति वित्त नीति 1, Trinity Health प्रणालीव्यापी वित्तीय सहायता नीति और छूट भुगतान पात्रता के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करती है। Trinity Health संगठन जो अन्य प्रकार की रोगी देखभाल प्रदान करते हैं या बिल बनाते हैं, उन्हें सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता नीति और रियायती भुगतान पात्रता अपनानी होगी और जो वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता और समर्थन की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता प्रदान करेंगे।

राज्य कानून प्रणाली-व्यापी प्रक्रियाओं का स्थान लेगा और मिनिस्ट्री लागू राज्य कानून के अनुरूप कार्य करेगा।

इस नीति का उद्देश्य मिनिस्ट्री की निम्नलिखित प्रतिबद्धता को पूरा करना है:

- हम जिनकी सेवा करते हैं, विशेष रूप से हमारे समुदायों में गरीबों और वंचितों के लिए करुणा, गरिमा और सम्मान के साथ गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।
- सभी व्यक्तियों की देखभाल करना, चाहे उनकी सेवाओं के लिए भुगतान करने की क्षमता कुछ भी हो; तथा
- उन रोगियों की सहायता करना जो अपनी देखभाल के आंशिक या पूरे खर्च का भुगतान नहीं कर सकते।

मिनिस्ट्री उन व्यक्तियों का एक समुदाय है जो हमारे समुदायों में एक सहानुभूतिपूर्ण और परिवर्तनकारी उपचारात्मक उपस्थिति के रूप में सुसमाचार की भावना में एक साथ सेवा करते हैं। हमारे मूल मूल्यों, विशेष रूप से "निर्धनता का अनुभव करने वालों के प्रति प्रतिबद्धता" के अनुरूप, हम जरूरतमंद व्यक्तियों की देखभाल करते हैं और उन लोगों पर विशेष ध्यान देते हैं जो सबसे अधिक असुरक्षित हैं, जिनमें वे लोग शामिल हैं जो भुगतान करने में असमर्थ हैं और जिनके सीमित साधनों के कारण स्वास्थ्य देखभाल व्यय को पूरा करना अत्यंत कठिन हो जाता है।

परिभाषाएँ

भुगतान करने में सक्षम का अर्थ है

- a. ऐसा व्यक्ति जिसे मेडिकेड आवेदन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से मेडिकेड के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो या जिसे राज्य मेडिकेड कार्यक्रम द्वारा मेडिकेड लाभों के लिए अस्वीकार कर दिया गया हो।
 - Trinity Health के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए पूर्व-अपेक्षा के रूप में मेडिकेड के लिए आवेदन करे।
- b. ऐसा व्यक्ति जिसे आवेदन की समीक्षा के बाद वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए अयोग्य पाया गया हो।
- c. एक व्यक्ति जिसने वित्तीय सहायता आवेदन और रियायती भुगतान पात्रता अवधि समाप्त होने के बाद वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान पात्रता के लिए आवेदन नहीं किया है।
- d. एक व्यक्ति जिसने वित्तीय सहायता आवेदन और रियायती भुगतान पात्रता प्रक्रिया को पूरा करने या सहयोग करने से इनकार किया है।

सामान्य रूप से बिल की गई राशि ("AGB") का अर्थ है आपातकालीन या अन्य चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल के लिए सामान्य रूप से बिल की गई राशि, जिनके पास ऐसी देखभाल को कवर करने वाला बीमा है, मिनिस्ट्री की तीव्र और चिकित्सक AGB की गणना, भुगतान किए गए मेडिकेयर दावों की राशि की गणना करने की लुक बैक पद्धति का उपयोग करते हुए की जाएगी, जो कि सिस्टम ऑफिस या मिनिस्ट्री द्वारा उन दावों के लिए कुल या "सकल" शुल्क से विभाजित होती है, जो रिपोर्ट की तारीख से सबसे हाल के डिस्चार्ज की तारीख तक 30 दिन के अंतराल के साथ भुगतान किए गए दावों के बारह महीनों का उपयोग करके सालाना किया जाता है।

आवेदन अवधि उस दिन से शुरू होती है जब **आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है**, जैसा कि सोशल सेक्योरिटी एक्ट की धारा 1867 में परिभाषित किया गया है। Trinity Health अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा स्थिति के लिए देखभाल चाहने वाले रोगियों का बिना किसी भेदभाव के और देखभाल के लिए भुगतान करने की रोगी की क्षमता की परवाह किए बिना इलाज किया जाएगा। मिनिस्ट्री आपातकालीन

देखभाल के लिए सभी संघीय और राज्य आवश्यकताओं के अनुसार काम करेगा, जिसमें संघीय आपातकालीन चिकित्सा उपचार और लेबर एक्ट (EMTALA) के तहत स्क्रीनिंग, उपचार और स्थानांतरण आवश्यकताएं शामिल हैं।

पारिवारिक आय का अर्थ है कि किसी व्यक्ति की पारिवारिक आय में घर के सभी वयस्क सदस्यों की पिछली 12 महीने की अवधि या पिछले कर वर्ष की वार्षिक आय शामिल होती है, जैसा कि हाल के पेस्टब्स या आयकर विवरणी और अन्य जानकारी द्वारा दिखाया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के रोगियों के लिए, पारिवारिक आय में माता-पिता और/या सौतेले माता-पिता, या देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की वार्षिक आय शामिल होती है। आय का प्रमाण वर्तमान आय दर को ध्यान में रखते हुए, वर्ष-दर-वर्ष पारिवारिक आय को वार्षिकीकृत करके निर्धारित किया जा सकता है।

वित्तीय सहायता और रियायती भुगतान का अर्थ है ऐसे रोगियों को प्रदान की जाने वाली सहायता (दान, छूट, आदि) जिनके लिए Trinity Health द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सकीय रूप से आवश्यक सेवाओं की पूरी लागत का भुगतान करना कठिन होगा, जो ऐसी सहायता के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

वित्तीय सहायता और छूट नीति ("FAP") का अर्थ एक लिखित नीति और प्रक्रिया है जो §1.501(आर)-4(बी) में वर्णित आवश्यकताओं को पूरा करती है।

वित्तीय सहायता नीति आवेदन ("FAP आवेदन") का अर्थ है वह जानकारी और संलग्न दस्तावेज जो कोई रोगी मिनिस्ट्री की FAP के अंतर्गत वित्तीय सहायता और/या रियायती भुगतान और/या भुगतान योजना के लिए आवेदन करने के लिए प्रस्तुत करता है। मिनिस्ट्री किसी व्यक्ति से लिखित अथवा मौखिक रूप से (अथवा दोनों के संयोजन से) जानकारी प्राप्त कर सकता है।

आय में सकल मजदूरी, वेतन, वेतन और स्वरोजगार आय, बेरोजगारी मुआवजा, श्रमिक मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा से भुगतान, सार्वजनिक सहायता, वयोवृद्ध लाभ, बाल सहायता, गुजारा भत्ता, शैक्षिक सहायता, उत्तरजीवी लाभ, पेंशन, सेवानिवृत्ति आय, नियमित बीमा और वार्षिकी भुगतान, सम्पदा और ट्रस्ट से आय, प्राप्त किराया, ब्याज/लाभांश और अन्य विविध स्रोतों से आय शामिल हैं।

चिकित्सकीय रूप से आवश्यक देखभाल अर्थ है ट्रिनिटी मिनिस्ट्री द्वारा प्रदान की गई कोई भी स्वास्थ्य सेवा या उत्पाद, जिसे प्रदाता द्वारा उचित रूप से निर्धारित किया जाता है, जो किसी बीमारी, चोट, रोग या उसके लक्षणों को रोकने, निदान करने या उपचार करने के लिए आवश्यक है।

मिनिस्ट्री (जिसे कभी-कभी स्वास्थ्य मंत्रालय भी कहा जाता है) का अर्थ Trinity Health का प्रथम स्तरीय (प्रत्यक्ष) सहायक, सहबद्ध या परिचालन प्रभाग है, जो एक अधिशासी निकाय का रखरखाव करता है, जो Trinity Health सिस्टम परिचालन के निर्दिष्ट हिस्से की दिन-प्रतिदिन प्रबंधन निगरानी करता है। कोई मिनिस्ट्री किसी भौगोलिक बाज़ार या किसी सेवा लाइन या व्यवसाय के प्रति समर्पण पर आधारित हो सकता है। मिनिस्ट्री में मिशन मंत्रालय, नेशनल मिनिस्ट्री और रीजनल मिनिस्ट्री शामिल हैं।

मिरर नीति का अर्थ Trinity Health द्वारा अनुमोदित एक आदर्श नीति है, तथा प्रत्येक मिनिस्ट्री को, यदि उपयुक्त हो तथा उसके कार्यों के लिए लागू हो, एक समान नीति के रूप में इसे अपनाना आवश्यक है, लेकिन स्थानीय शैली की प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रारूप को संशोधित कर सकता है, या, ऐसी मिरर नीति के लिए उत्तरदायी ELT सदस्य द्वारा अनुमोदन के अधीन, लागू राज्य या स्थानीय कानूनों और विनियमों या लाइसेंसिंग और प्रत्यायन आवश्यकताओं का अनुपालन कर सकता है।

भुगतान योजना का अर्थ है कि यदि कोई मरीज़ रियायती दर का पूरा भुगतान नहीं कर सकता है, तो विस्तारित ब्याज मुक्त भुगतान योजना का अनुरोध किया जा सकता है। भुगतान योजना की शर्तों पर परिवार की आय और आवश्यक जीवन व्यय को ध्यान में रखते हुए बातचीत की जा सकती है। यदि मिनिस्ट्री और एक

रोगी भुगतान योजना पर सहमत नहीं हो पाते हैं, तो एक उचित भुगतान योजना बनाई जाएगी जहां मासिक भुगतान परिवार की मासिक आय का 10% से अधिक नहीं होगा, जिसमें आवश्यक जीवन व्यय के लिए कटौतियाँ शामिल नहीं हैं।

नीति का अर्थ है Trinity Health, उसके मंत्रालयों और सहायक कंपनियों के लिए महत्व के मामलों पर उच्च-स्तरीय निर्देश का एक बयान या एक बयान जो Trinity Health, उसके मंत्रालयों और सहायक कंपनियों के अधिशासी दस्तावेजों की आगे व्याख्या करता है। नीतियाँ या तो स्वतंत्र, प्रणालीव्यापी या अनुमोदन करने वाले निकाय द्वारा निर्धारित मिरर नीतियाँ हो सकती हैं।

प्रक्रिया का अर्थ है किसी नीति को क्रियान्वित करने के लिए तैयार किया गया दस्तावेज़ या विशिष्ट अपेक्षित कार्यों या प्रक्रियाओं का विवरण।

सेवा क्षेत्र का अर्थ मिनिस्ट्री द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाले प्राथमिक बाजारों से है। यह उन ज़िप कोडों की सूची द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जहां रोगी रहते हैं।

मानकों या दिशानिर्देशों का अर्थ अतिरिक्त निर्देश और मार्गदर्शन है जो प्रक्रियाओं को लागू करने में सहायता करते हैं, जिनमें मान्यता या पेशेवर संगठनों द्वारा विकसित निर्देश और मार्गदर्शन भी शामिल हैं।

सहायक कंपनी का अर्थ है एक कानूनी इकाई जिसमें ट्रिनिटी मिनिस्ट्री एकमात्र कॉर्पोरेट सदस्य या एकमात्र शेयरधारक है।

बीमा रहित रोगी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका बीमा नहीं है, जिसके पास वाणिज्यिक तृतीय पक्ष बीमाकर्ता, ERISA योजना, संघीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (जिसमें बिना किसी सीमा के मेडिकेयर, मेडिकेड, SCHIP और CHAMPUS शामिल हैं), श्रमिक मुआवजा, या देखभाल की लागत के सभी या आंशिक हिस्से को कवर करने के लिए अन्य तृतीय पक्ष सहायता द्वारा कोई तृतीय पक्ष कवरेज नहीं है।

उत्तरदायी विभाग

इस मिरर नीति के संबंध में आगे का मार्गदर्शन मिनिस्ट्री के कार्यकारी नेतृत्व से प्राप्त किया जा सकता है।

अनुमोदन

आरंभिक अनुमोदन: 14 जून, 2014, ट्रिनिटी हेल्थ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्टीवर्डशिप समिति

आगामी समीक्षा/संशोधन: 18 सितंबर 2014; 1 जुलाई 2017; 8 दिसंबर 2021, 6 दिसंबर 2023, 20 फरवरी 2024

प्रदर्श ए

व्यक्तियों को भेदभाव रहित और पहुंच संबंधी आवश्यकताओं के बारे में सूचित करने वाला नोटिस

सेंट एग्रेस मेडिकल सेंटर, प्रत्येक व्यक्ति की श्रुचिता और गरिमा का सम्मान करता है, लागू संघीय नागरिक अधिकार कानूनों का अनुपालन करता है, और संरक्षित वर्गों के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, जिसमें जाति, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता या लिंग शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

सेंट एग्रेस मेडिकल सेंटर: विकलांग लोगों को हमारे साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए निःशुल्क सहायता और सेवाएं प्रदान करता है, जैसे:

- वीडियो और ऑडियो दुभाषिया प्रणाली नेटवर्क के माध्यम से योग्य सांकेतिक भाषा और दुभाषिया सेवाएं।
- अन्य प्रारूपों में लिखित जानकारी जैसे बड़े प्रिंट, ऑडियो, सुलभ इलेक्ट्रॉनिक और अन्य प्रारूप।

उन लोगों को निःशुल्क भाषा सेवाएं प्रदान करें जिनकी प्राथमिक भाषा अंग्रेजी नहीं है, जैसे:

- योग्य दुभाषिया सेवाएँ
- अन्य भाषाओं में लिखी गई जानकारी

यदि आपको इन सेवाओं की आवश्यकता है, तो कृपया सहायता के लिए हमसे (559) 450-3000 TTY (559) 450-3233 पर संपर्क करें।

यदि आप मानते हैं कि सेंट एग्रेस मेडिकल सेंटर इन सेवाओं को प्रदान करने में विफल रहा है या नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, आयु, विकलांगता या लिंग के आधार पर किसी अन्य तरीके से भेदभाव करता है, तो आप व्यक्तिगत रूप से, मेल, फैक्स या ईमेल द्वारा शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

Saint Agnes Medical Center

ध्यानार्थ: Risk Management

1303 E. Herndon Ave.

Fresno, CA 93720

559-450-7475

ईमेल: Information@samc.com

आप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, नागरिक अधिकार कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक रूप से वेब, मेल या फोन के माध्यम से नागरिक अधिकार शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं:

Department of Health & Human Services

200 Independence Avenue, SW, Room a509F,

HHH Building, Washington, DC 20201

वेब <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf> फोन 1-800-

368-1019 TTY 1-800-537-7697

Spanish

ATENCIÓN: Disponemos de servicios gratuitos de asistencia lingüística si habla español. Llame al 1-559-450-3000 (TTY:1-559-450-3233).

Tagalog

Pansinin: Available ang mga libreng serbisyo ng tulong sa wika kung nagsasalita ka ng Tagalog. Tumawag sa 1-559-450-3000 (TTY:1-559-450-3233).

Chinese

注意: 如果您说中文, 我们将为您提供免费的语言帮助服务。请致电 1-559-450-3000 (TTY: 1-559-450-3233)。

Vietnamese

Lưu ý: Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho người nói tiếng Việt. Xin gọi 1-559-450-3000 (TTY:1-559-450-3233)

Korean

참고: 무료 언어 서비스는 한국어를 말할 경우 사용할 수 있습니다. 전화번호 1-559-450-3000 (TTY:1-559-450-3233)

Armenian

Ուշադրություն՝ Հասանելի են լեզվական աջակցության անվճար ծառայություններ, եթե Ձեր լեզուն հայերենն է: Չանգահարեք 1-559-450-3000 (TTY:1-559-450-3233) հեռախոսահամարով

Russian

Внимание: Если вы говорите по-русски, воспользуйтесь бесплатной языковой помощью. Для этого позвоните по телефону 1-559-450-3000 (TTY:1-559-450-3233).

Hindi

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो निःशुल्क भाषा सहायता सेवाएँ उपलब्ध हैं। 1-559-450-3000 (TTY:1-559-450-3233) पर कॉल करें

Japanese

注: 日本語を話される方は、無料の言語支援サービスをご利用いただけます。1-559-450-3000 (TTY: 1-559-450-3233) までお電話ください。

French

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le. 1-559-450-3000 (TTY: 1-559-450-3233).

Panjabi

ਧਿਆਨ ਦਿਤੋ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 1-559-450-3000 (TTY:1-559-450-3233) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

German

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlose Sprachassistentendienste zur Verfügung. 1-559-450-3000 (TTY: 1-559-450-3233).

Farsi

رایگان در دسترس توجه: اگر فارسی صحبت می‌کنید، خدمات کمک زبانی 1-559-450-3000 (TTY: 1-559-450-3233)

Cambodian

យកចិត្តទុកដាក់៖ ប្រសិនបើអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ សេវាជំនួយភាសាភាគតិចថ្លៃអាចរកបានសម្រាប់អ្នក 1-559-450-3000 (TTY: 1-559-450-3233).

Thai

หมายเหตุ: หากคุณพูดภาษาไทย เรามีบริการช่วยเหลือด้านภาษาฟรีสำหรับคุณ 1-559-450-3000 (TTY: 1-559-450-3233).

Lao

ຂ້ອນລະວັງ: ຖ້າເຈົ້າເວົ້າພາສາລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາມີໃຫ້ທ່ານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ 1-559-450-3000 (TTY: 1-559-450-3233).

Arabic

انتبه: إذا كنت تتحدث اللغة العربية، تتوفر لك خدمات المساعدة اللغوية المجانية 1-559-450-3000 (TTY: 1-559-450-3233).

Hmong

CEEb TOOM: Yog tias koj hais lus Hmoob, muaj kev pab qhia lus dawb rau koj 559-450-3000 (TTY: 1-559-450-3233).

Samoaan

FAAMATALAGA: Afai e te tautala i le Gagana Samoa, o lo'o avanoa mo oe auaunaga fesoasoani i le gagana e leai se totogi 1-559-450-3000 (TTY: 1-559-450-3233).

Hawaiian

NĀ MEA: Inā 'ōlelo 'oe i ka 'ōlelo Hawai'i, loa'a iā 'oe nā lawelawe kōkua 'ōlelo manuahi 1-559-450-3000 (TTY: 1-559-450-3233).

EXHIBIT B

Provider List

All physicians, providers and practice groups listed are independent contractors and are not employed by Saint Agnes Medical Center and will bill separately and are not covered by the hospital Financial Assistance Policy.

Provider Names:

ABBASI, RAFAY SALEEM
ABDULHAQ, HAIFAA
ABDULIAN, JOHN D
ABEYSEKERA, MARIA E
ABOU EL KHEIR, TAREK A
ACEVEDO, CARLOS
ACOSTA, ANTONIETA S
ADAME, OBED BARRERA
ADAMS, AUTHER
ADAMS, NATHAN J
ADAMS, SPENCER J
ADAPA, INDIRA
ADAPA, SREEDHAR REDDY
ADENIJI, BENI
AFTAB, WAQAS
AGARWAL, PRASHANT
AGRAWAL, PULAK
AGUILAR, DENISE
AGUIRRE, YARITZA
AHMAD, GULLRANA
AILANJIAN, SHELLEY
AKHAVAN, SAYEH
AKHTAR, EHSAAN
AKHTAR, NAEEM M
AL SABEK, KARIM
AL ZUGHOUL, AHMAD
ALAM, GEORGE
ALAM, MUHAMMAD MANSOOR
ALANIZ, RONY MICHAEL
ALAPATI, SAMPATH K
ALCOLEA TAMAYO, YOELBIS
ALEGRIA, DYLAN A
ALHADI, SAMEIR A
AL-HIALI, RAFEL
ALI, AMER
ALI, ANUM
ALI, SHAUKAT
ALIHASHEMI, MAHDA
ALLAF, GABRIEL
ALLEN, ASHLEY

ALLENDE, DIEGO
ALPER, MARINA Y
ALSON, MARK D
ALVARADO, ALYSSA
ALVARADO, RUDOLPH C
AMBATI, NARAYANA S
AMIN, RAJ MAYUR
AMINIAN, A.M.
ANAND, KUWAR P
ANAYA, ANDRES M
ANAYA, CESAR
ANDERSON, CASANDRA A
ANDERSON, TAMMI
ANIGBOGU, NKOLI
ANIKINA, OLGA
ANUGU, GAUTAM
AOKI, JEFFREY E
ARAB, TALAL MOHAMED
ARAIM, OMAR
ARAIN, MOHAMMAD AFZAL
ARAKERE, PUSHPALATHA
ARAUJO, GERSON
ARENDS, JULIE
ARIF, AFTAB
ARMSTRONG, JUDITH L
ARNOLD, CHELSIE JEAN
ARORA, AJIT S
ARREDONDO, ORALIA D
ARSHAD, SAMEED
ARYAL, BARUN
ASHRAF, GOHAR
ASKARI ATAPOUR, BAHAREH
ASKREN, CARL C
ATCHIKOVA, ELENA
ATHALE, JANHAVI
ATHWAL, PAL
ATMAJIAN, TIMOTHY KIRKOR
ATTIA, ENAS FAROUK
ATWAL, SUKHVIR SINGH
AUDI, KHRYSAL
AUERBACH, THOMAS BENJAMIN

AUJLA, AMREET K.
AUJLA, BIMAL DEEP
AULAKH, AMARDEEP
AULAKH, KIMPREET KAUR
AULAKH, RAMANDEEP
AUSTIN, KATHERINE
AVAKIAN, LANY SIVONGSAY
AVENA, RICARDO
AVILA, RUTH
AYSHA PATEL, BIBI
AZMOUN, LEYLA M
BAADH, INDERBIR SINGH
BACON, JOHN J
BAILEY, LIN HSU
BAINS, KANWALDIP K
BAINS, PARMVEER
BAINS, SIMRIN
BAJPAI, SAURABH AJAY
BAKER, LISA M
BAKSH, MUHAMMAD
BALA, NARINDER S
BALASUBRAMANIAN, VIJAY P
BALFOUR, STEPHEN A
BANDA, JAVIER
BANGASH, ISHTIAQUE
BANH, NICOLE TERE
BANSAL, VINOD
BARAJAS, AILEEN
BARNES MARTINEZ, CLAYTON ABBOTT
BARNES, HANNAH
BARRIGA, IRIS
BARROWS, NATHANIEL ROBERT
BASHIR, MUHAMMAD HASSAN
BASHTAR, REZA
BASRAON, JAGROOP
BASRAON, JASWANT
BASRAON, SANMAAN K
BASSI, SIMRANJIT
BATANI, ZHOOBIN
BATTH, SIMRAT
BATTH, SUKHJEET
BAUTISTA, DIANA
BAUTISTA, WILLIAM
BAZ, MALIK
BAZYANI, MENOUCHEHR
BEACH, RICHARD
BEAIRD, DALLAS T
BEAS, KARINA

BECERRA, CRYSTAL
BEDI, KRISTOPHER
BEDROSIAN, ARMEN H
BEEGLE, CARIE
BEHNIWAL, KULDIP
BEHR, KATHLEEN L
BEHZADI, ASHKAN HESHMATZADEH
BELTRAN, JENNIFER
BENCK, MARILYN O
BENNETT, ROBERT
BERGDAHL, DAVID M
BERGMANN, CYNTHIA A
BERNARD, MARK
BERNDT, JONATHAN PETER
BERUBE, CYNTHIA
BETRE, ABRAHAM N
BHAJAL, SUKHVINDER S
BHARATI, PANKAJ
BHINDER, PARAMBIR SINGH
BHULLAR, MANMINDER SINGH
BIDAR, MAZIAR
BINNING, GURJEET
BIRNBAUM, ALAN
BIRNBAUM, PETER
BISHOP, FRANK MICHAEL
BIVONA, ALEXIS N
BLAKE, ERIN A
BLATTER, MCKAY
BLUE, MONICA
BOCCONE, LAUREN R
BODUKAM, VIJAY
BONDALE, NIYATI
BONILLA, KEVIN
BOPARAI, SUKHMAN
BOPP, SARAH J
BORAN, KEVIN J
BORGSTADT, DANIEL L
BORNO, SAM A
BORROMEO, KATE ANGELA
BOSCH, KELLEEN M
BOSCH-RAMIREZ, AGNES M
BOX, DAVID MICHAEL
BRAH, TARA
BRAR, GINA
BRAR, KIRAN
BRAR, NIRMAL SINGH
BRAR, UDAYVEER
BRIX, RONALD

BRUCE, JAMES M
BUCKENBERGER, ROBERT K
BUDDIGA, PRAVEEN
BUHLER, JEANNIE
BURNETT, JOHN
BYBEE, BRADEN
CABRERA-RAMOS, KAREN
CAKMAK, BATUHAN
CALDERA, HOLUPATHIRAGE
CALDERON, LAURA
CAMILLERI, AMITIE
CAMPBELL, MATTHEW PETER
CANETA, DENIA B
CAO, YANGMING
CARD, CHRISTINE MARIE
CARR, GLENN ALAN
CARVETH, WILLIAM L
CASARES, ADRIANA E
CASTANARES, GINA
CASTILLO, ALEXIS
CASTILLO, ROBERT G
CASTONGUAY, RONALD
CAUGHELL, MIRIAM
CERVANTES, ILEANA
CHA, THA
CHAE, SUNG
CHALAKA, NIKITA
CHANDRASEKAR, INDIRA
CHANG, TONY
CHANG-HALPENNY, CHRISTINE N
CHANN, HARCHARN
CHANN, JAGMEET K
CHAPAGAIN, BIKASH
CHAUDHARI, JEFFREY A
CHAUDHARY, ASAD A
CHAUDHARY, GULAFSHA
CHAUHAN-JAMES, JAIMINI
CHAVEZ, JUAN
CHEE LEE, ARIANNA PA
CHEEMA, HARRIMAL
CHEN, TRAVIS
CHERNEKOFF, GREGORY MICHA
CHERUKUPALLI, SRIRAM
CHEUNG, KENNETH H
CHHANIARA, ENJULI
CHI, ANDREW A
CHIEN, ALLEN T
CHIEN, CHENGAN T

CHIN, BRANDON
CHIN, JOHN W
CHIN, ROBERTO
CHINTANABOINA, JAYAKRISHNA
CHOKSHI, NAISHA BHAVIN
CHOOIJIAN, STEVEN H
CHU, DORTHA
CIPOLLA, FRANCES K
CLARK, ANDREW
COCKRUM, TASHA R
COFFMAN, CAMBRIA C
COLLINS, ATIF
COOPER, MARAM
COPELAND, GREGORY LEE
CORONADO, JAVIER ROEL
COUCHMAN, GARRETT ALAN
CREDIFORD, ARIANNA
CRUZ, EDWIN A
CRUZ, FERNANDO
CRUZ, LEONE CATHERINE
CRUZ-PORTALATIN, ILDEFONS
CURIEL, THOMAS M
CURRY, ROBERT E
CYRUS, MAURICE D
DADDINO, BRITTANY N
DANIEL, VIJAI
DANIELSON, ADAM
DANILOV, LILIA
DAPAAH-SIAKWAN, FREDRICK
DAVE, GIATRI
DAVIDSON, KRISTINA T
DAVIES, JENNIFER
DAVIS, REGINA M
DAVIS, TREVOR
DAYANGHIRANG, ALMA BUSTAMANTE
DE JESUS, EMERSON M
DE LOS SANTOS, MARK A
DE VERA, LAURA D
DEACON, ERIN
DEMERA, RICHARD
DENGEL, MICHAEL K
DENNIS-JOHNSON, DEBBIE
DEOL, SAGER
DESADIER, JASON
DEV, DIVYA M
DEVANI, MEHRAB
DEVERAUX, CHRISTIAN
DHALIWAL, DILDEEP

DHALIWAL, HARPREET K
DHANOA, NARPINDER
DHERI, JASBIR
DHESI, RAJINDER
DHILLON, GURMEJ SINGH
DHILLON, INDERJIT
DHILLON, JASDEEP K
DHILLON, KALWANT S
DHILLON, SUKHMEET SINGH
DHILLON, UJAGGER
DHILLON, VIKRAMJEET SINGH
DHILLON-ASHLEY, TINA J
DHINDSA, HARPREET S
DHINGRA, HEMANT
DIAN, SHAHAB
DICKINSON, WADE
DICKSON, RILEY
DIMENCO, CHARLENE
DISBROW, DAVID E
D'MORIAS, LINET
DOI, REGINA
DOMINGUEZ, YESENIA
DOMINIC, WILLIAM J
DONKOR, JIMMY ADUSEI POKU
DORSAINVIL, DOMINIQUE
DOUGHERTY, SIMON F
DRIER, JASON
DU, AMY
DUBEY, SONIA
DUFLOT, JOSEPH C
DUNCAN, ANA C
DUNCAN, IAN CHARLES
DUNKLIN, JEROME R
DUNN, HENRY
DUONG, HAI T
DYOCO, ORLANTINO G
DZHUGARIAN, SOSI
EASTER, THOMAS DUANE
ECKROTH-BERNARD, KAMELL
EDMONDS, HARVEY L
EFIRD, TERRIL A
ELHASSAN, MOHAMMED G
ELLIS, CHRISTOPHER CHARLE
EMAMI, AHMAD
ESCARCEGA, ARNOLD
ESCOBAR, ALEXANDER
ESQUIVEL-AGUILAR, GRACIELA
ESTAKHRI, PEJMON

ESTEBAR, MARICON
ESTERS, DANIELLE M
ESTRADA, DEXTER
ETIZ, WILLIAM B
EVANS, ALLEN
EVANS, JESSICA
EVANS, SARAH C
FAGAN, ROYCE M
FAIR, ALEXANDER
FAN, HOWARD J
FANG, WEI
FAROOQI, MUFTISAADAT A
FERNANDEZ, SAM E
FERNANDEZ, SHARMILA
FIELDS, ADELE ALEXANDRA
FIGUEROA, MONICA
FISCUS, TIMOTHY M
FLEMMING, DAVID R
FLETCHER, JOHN PATRICK
FLORES, VERONICA
FOGG, STEVEN
FONG, KURENE
FONG, LEO L
FORD, ROBERT HOWARD
FRANCIS, LYNDA A
FRANCIS, SAMUEL
FRIDLEY, JESSICA
GADE, GOPAL REDDY
GADE, VAMSHIDHARA R
GALLI, RANDI A
GAMBLE, ROBERT C
GARBUIT, GLENN D
GARCIA, ALFREDO
GARCIA, ELENA
GARCIA, JAVIER
GARCIA, JOANN
GARCIA, KRISTINE A
GARCIA, LEXI
GARCIA, PETER JOHN
GARCIA, RANDY
GARCIA, STEVE
GARDNER, JEFFREY TODD
GARISPE, ASHLEY NOEL
GARNICA, CHRISTIAN
GARNICA, DIANA CHRISTINE
GARRY, JOHN E
GATHURA, NJERI
GAULT, JENNIFER

GAURAV, JIVITESH
GEBREMESKEL, MEHERET
GENTRY, JULIENE
GERARDINE, SUPRIYA
GHAJARNIA, M MEHDI
GHALCHI, DANIEL
GHOSHAL, ASISH
GIL, SARAH LEE
GILL, AMITPAUL
GILL, HARINDER
GILL, HIMMAT
GILL, JASMINE
GILL, KAMALPREET KAUR
GILL, KARANVIR
GILL, KULDEEP
GILL, NAVDEEP S
GILL, NICHOLAS
GILL, PARAMJEET SINGH
GILL, RUQAYYA
GILLIAM, FREDERICK
GINN, PATRICK D
GIVERTZ, ALAN
GLASER, FRANCIS EDWARD
GLEZOS, CHRISTOPHER D
GOEBEL, PAUL
GOLIK, LISA
GOLSHTEYN, GAN
GOMEZ, VINCENT BENSON
GOMEZ, YACSIRE
GONDARA, NISCHINT
GONZALEZ, FLAVIO
GONZALEZ, NITZIA
GOSS, STEVEN W
GOSWAMI, AMITABH U
GOULD-SIMON, ARON
GOUSSE, ROBERT P
GOVIER, KELLY M
GOWDA, AKSHATHA G V
GRANDHE, SUNDEEP
GRANGER, SCOTT
GRANNIS, KIMBERLY A
GREEN, ADRIEL J
GREENBERG, ADAM W
GREGORY, DONALD W
GREGORY, RICHARD D
GREWAL, AJANAMJOT KAUR
GREWALL, JATINDER PAUL SI
GRIFFIN, THOMAS E

GRIGORI, LALA
GROSSMAN, JONATHAN DAVID
GROSSMAN, STEPHEN M
GUERRERO, MARLENE
GUEZMIR, HINA
GUIDO ANGUIANO, ALEJANDRO
GUINTO, LARRY B
GULATI, ABHISHEK
GULESSARIAN, DICKRAN H
GULLAPALLI, VERONICA
GUPTA, SACHIN
GURM, HARMEET S
GURM, HASHROOP
GUTIERREZ, MARIA
GUTIERREZ, PATRICIA
GUZOUJIAN, ROBERT
HA, DON
HABIBE, ALEX ORLANDO
HACKETT, LEONARD
HADADIANPOUR, SHIVA
HADCOCK, MARGARET
HADI, EHSAN M
HADIPOUR, MARYAM
HAGER, STEVEN
HAJY ISEYEDSOLEIMAN, FARIBA
HAKIMIPOUR, MEHDI
HAMDI, ABDULRAHMAN A
HAMDI, ANAS
HAMEL, KELLY
HAMILTON, DEIDRE
HAN, BRANDEN
HAN, HONGSHIK
HANDY, RAYANNA
HANG, SANDY
HANNAH, STEPHANIE
HANSON, TINNEKE
HARDY, GHISLAIN
HARDY-JOEL, RHONDA M
HARKANWAL KAUR
HARO, SABRINA
HAROUN, YAZAN AZMI AMIN
HARRIS, ABDUL KEZIN
HARTONO, STELLA
HARUTYUNYAN, IRENE
HASEEB, ABDUL
HASHMI, SARAH A
HATAMI, NEGIN
HAWKINS, JOSEPH B

HAWKINS, KELLEY LEANNE
HAYAT, NAWEED
HAYAT, SUMERA
HELLER, ANDREAS
HELM, DOUGLAS A
HELM, TRAVIS ALLEN
HENDY, BENJAMIN ADISON
HENRIKSEN, MICHAEL
HER, MAI
HERAGU, NARAKESARI
HERNANDEZ, ALEX YASSER
HERNANDEZ, ARACELY
HERNANDEZ, CARLOS
HERNANDEZ, HUGO
HERNANDEZ, SERENA
HERNANDEZ, YATI
HEU, MAY
HICKS, DAVID LAWRENCE
HIEMSOUVANH, SYNDEY
HILL, ZACHARY RYAN
HINTON, SAMUEL PETER
HINTON, SYLVIA KIM
HOFFMAN, MICAH T
HOLDEN, RICHARD
HOLE, JAMES WESTON
HOLMES, WILLIAM B
HOLT, DERICK G
HONG, EMILY
HOOD, LISA WILSON
HOPPER, LAURYN E
HOROWITZ, ISAAC
HOU, EILEEN
HOVANNISIAN, DANIELLE E
HOWELL, STEPHEN
HOYLE, IRENE
HSU, GEORGE
HUBBARD, JEFFREY M
HUH, BRIAN
HUNTER, DOROTHY M
HUTCHINS, TY
HWANG, MEI-TSUEY
HYNES-HARRIS, JAMES
IBANEZ, JENNY
IBERDEMAJ, RAME D
IBRAHIM, AALAMGEER K
IBRAHIM, DINA
IKEMIYA, KENNETH
IPSEN, CORY

IRINA FILIP
IRSHAD, WAJIHA
ISLAM, ZUNAIRA
JACQUES, JOURDAN
JARAMISHIAN, ELYSE
JAVAID, NADIA
JAVED, HAMNA
JAVED, USMAN
JAWIEN, WILLIAM
JEON, JI IL
JEON, YONG HA
JERMANUS, SURYA
JOHAL, DHARAMPAL
JOHN, THAMPI K
JOHNSON, ASHLEY RENEE
JOHNSON, DAWN
JOHNSON, KENDALL
JOHNSON, KIRK A
JOHNSON, LAUREN
JOHNSON, RYAN CHARLES
JOHNSON, SPENCER
JONES, RICHARD D
JOPLIN, SONJA E
JORDAN, NANCY
JOSEPH, ABED Y
JOSHI, BIPIN K
JOSHI, SWATI V
JULIAN, JOHN CHRISTOPHER
JULIAN, ROBERT S
JULIAN, SYDNEY ROBERT
JULIUSSON, SUSAN N
JUWONO, TIMOTHY
KADAN, ABDULLAH
KAGALWALLA, MUSTAFA HUNAID
KAHLON, MEHARMEET
KAHN, OLIVIA
KAILEH, RAZAN H
KALAMANOGLU, DOGAN SEVKI
KALAMKARIAN, ARMAN HAGOP
KALAW, VALERIO
KALMES, BEAU AARON
KAMALA BASAULA
KANE, JAMES M
KAPLAN, JASON ALAN
KARDASHIAN, JANE F
KARIM, ZUNAYET
KARN, ABHISHEK K
KASTEN, SHARMEL

KASTURI, GOPI CHANDRA
KATIBAH, IBRAHIM
KATRAGADDA, NAVYA
KAUL, NEERJA
KAUR, AMANDEEP
KAUR, HARSIMRAT
KAUR, JASKARIN
KAUR, JASPREET
KAUR, KAMALMEET
KAUR, KARANVIR
KAUR, KHUSHWINDER
KAUR, NAVNEET
KAUR, SUKHBIR
KAUR, SUKHDEEP
KAUR, SUKHENPREET
KELLAR, JESSE Z
KELLY, KARI
KENNEDY, LOUIS
KERR, JOHN HOWARD
KESSLER, MICHAEL JOHN
KHALID, UMAIR
KHALIQI, MUSA M
KHANNA, PANCHALI
KHARA, GAGANDEEP KAUR
KHARA, MANDEEP
KHERADPIR, ARDAVAN R
KHODAVERDIAN, ANOUSH
KHURSHID, AMBREEN
KHUSHIGIAN, DANIEL ARAM
KIAN, AARON
KIDWELL, RAYMOND
KIEL, RICHARD GEORGE
KIELMEYER, KEITH O
KIELMEYER, RORY
KIM, CYNTHIA
KIM, JOHN J
KIM, PHILLIP J
KIM, SEAN
KIM, SOO Y
KIM, STANLEY TAESON
KINTER, CHRISTOPHER R
KITSUWAN, MARY K
KITT, GARRETT
KLANN, VIVIAN Y
KNEDEL, MATTHEW A
KNIGHT, BRANDON
KODAMA, KEVIN
KOELEWYN, KRISTOPHER

KOLLMORGEN, ROBERT C
KOSHKAKARYAN, GAYANE
KOSIYANGKAKUL, ANDREA C
KRAFT, ROD S
KRAUTHAMMER, CHRISTIAN
KROEKER, ROY
KUDRIMOTI, HEMANT S
KUEHN, ERIKA RUST
KUNCHAKARRA, SIRI
KUNZ, DAVID A
KURZ, TROY L
LACY, DEE A
LALLY, RABINA
LAM, MICHELLE KWOK-YIU
LAN, WEN-CHUN
LARAMIE, JEANNINE H
LARAMIE, MYTHE
LARIOS, MARNIE
LARSEN, LANCE
LASHLEY, PRECIOUS
LATSON, WILLIAM
LAWSON, CAITLIN D
LAZARUS, JOSHUA P
LE, CHI
LE, HUNG
LE, MIEN T
LEBEIKO, BRITTANY
LEE, AMANDA
LEE, BRIAN K
LEE, BYUNG
LEE, CATHERINE
LEE, CHRISTIAN
LEE, HAEMI
LEE, JAMES HO
LEE, JULIA
LEE, KEVIN
LEE, SIEW-MING
LEGESSE, ASHENAFI A
LEHGA, NAVDEEP
LEISS, JORY
LEMKER, ERICH STEFAN
LEMUS, PAOLA
LENAHAN, BARBARA C
LERRO, ELSA L
LEUNG, LYDIA
LEUNG, YUK-YUEN M
LEVEQUE, ERIC
LEVY, STEVEN B

LIBKE, ROBERT D
LICHTENSTEIN, RON
LIM, GRACE W
LIMOVA, MARKET A
LIN, JOSHUA K
LIN, NING
LINDER, JEAN
LINSCHIED-JANZEN, ROBIN R
LIU, LI
LIVINGSTON-ROSANOFF, DEVON
LIYANAGE, DINESHI
LLANOS, DANIELLE
LOEHNER, SANDRA M
LOGAN, SUSAN
LOO, KAMELA Y
LOPEZ, JEHNETTE
LOPEZ, LISA
LOPEZ, ROBERT
LOZANO, MATTHEW D
LULU, SABEEN T
LY, NATHALIE
LYNCH, MICHAEL W
MA, CHRISTINA H
MA, LAUREN
MAAN, JASDAVE S
MACIAS, EDGAR SINAI
MACIEL, YOLANDA A
MACKSOUD, ADAM
MACLEOD, SAMANTHA
MACMULLEN, JULIANNE
MADHURI, KASA
MADIREDDY, NAGARATNAMMA
MADSEN, JOSHUA
MADUELL, MELISSA V
MAFI, PARHAM
MAHAL, AMBER KAUR
MAHAL, KANWAR
MAHAL, SHANAN
MAHMOUD, ALI
MAIDAN, LUCIAN
MAISON-FOMOTAR, MICHELE M
MAJORS, ALEXANDER L
MAK, CEAYEE
MAKHIJA, CHHAYA
MALIK, ANUJ S
MALLARD-WARREN, GAIL M
MALVINI, DANIELLE M
MALWI, UMME HAANI

MANALO, RACHEL A
MANGOLD, DEVIN R
MANN, AMITASHA
MANSOOR, TARAB
MARAVILLA, NELSON J
MARCIAL, MARIETA T
MAROK, RAJINDER
MARQUEZ, CAMILLA
MARQUEZ, SELENA
MARTIN, DUSTIN
MARTIN, HANNAH
MARTIN, RUSSELL R
MARTINEZ, ELSIE
MARTINEZ, GREGORY SCOTT
MARTINEZ, MARLENE
MARTINEZ-CUELLAR, JORGE E
MARTIROSIAN, ARMEN K
MARUYAMA, MICHAEL M
MASLANKA, SAPNA
MASON, STEWART
MASOOD, SHEIKH MOHAMMAD
MASSED, JESSICA DAWN SULLIVAN
MASSETTI, DEBORAH
MATH, EDWARD F
MATIN, SHAIKH
MCANDREW, MATTHEW
MCBRIDE, SUSAN
MCFALL, CHARLOTTE
MCKINNEY, TRACEY L
MEADE, JASON
MEBRATU, BERHANE
MECHAEAL, PHILIP F
MEDEIROS, MICHAEL A
MEHDI, ABBAS
MEHROTRA, NIDHI
MEHTA, NEESURG SUNIL
MELARA MOJICA, SERGIO J
MELARA, ERICK
MENDOZA, ISaura
MENDOZA, RICHARD
MERAJI, ARAMSADAT
MERCADO, EDGAR IVAN
MERRILL, DALE
MINOR, THOMAS
MIRAMONTES, JUDY
MITCHELL, ROBERT K
MITROO, PRADNYA
MITTAL, MANISHA

MITTAL, RAM
MITTAL, VIVEK
MOADAB, ANOOSH
MOHAMED, KAREEM
MOHAMED, ROWA
MOHAMMADI-RAD, SEYED A
MOHAMMED, YUSSIF
MOJADADDI, HUMAIRA
MOJIBI-WALDROP, NAZZI
MONSON, JEDIDIAH
MONTAGUE, PAUL R
MONTANO, ELIZABETH A
MONTELEONE, JOHN C
MONTERO, ALLISON H
MONTOYA, CINDY J
MOORE, ROSE M
MOORE, YOLANDA JOY
MORALES, MARY
MORAN, GILBERT K
MORGAN, GARRETT
MORGAN, LERRAUGHN M
MORRIS, DANIELLE ANN
MOTIE, ANDRE
MOUA, BERNIECE
MOYA, MICHAEL
MRUTHYUNJAYA, PRANATHI
MU, ANANDIT M
MUKKER, JAGPREET
MULTANI, HANEET
MUNOZ, ANNETTE C
MUNOZ, LIYA
MUREMA, IRENE C
MURO, AMY RENEE
MUWANES, JOY
MYERS, CAROLINE
MYERS, JONATHAN JAY
NABILI, PANAH
NADEEM, RUKHSAR
NAGRA, PRIYA
NAKATA, DENNIS A
NAMIRANIAN, KHODADAD
NARAHARI, PRANEETHA
NARAIN, GURINDER
NARALA, MADHAVA
NARANG, RADHIKA
NARAYANA PANICKER, DHANYA
NARDES FERREIRA, CELISE
NAREDDY, CHINNAPA

NASSAR, PETER
NAT, AMRITPAL
NAZ, AFTAB
NAZ, TABISH A
NAZARIO DIAZ, HARRY
NEE, ALEX C
NELSON, ASHLEY R
NG, BRIAN BOA-YEN
NG, JENNIFER
NGUYEN, ALEXANDER H
NGUYEN, CHERRELLE L
NGUYEN, LOAN KIM
NGUYEN, LYNESA M
NGUYEN, THANH HUONG LE
NICOLA, CATALIN
NIELSEN, VERNON CHAD
NII, DUANE YUZURU
NIKRAVANGOLSEFID, NASRIN
NJAMFA, CONRAD
NOEL, MARSHALL E
NOLL, BRENNEN
NOPPORNMONGKUL, NATNICHA
NORWOOD, PAUL
NUANES, STEVEN
NUNEZ, BELMA
NWAGWU, CHINEDU
NWAJEI, PATRICK
OBIDIEGWU, KYRIAN
OHANIS, NATALEEN
OHARA, MICHAEL P
OJI, EMMY A
OLANIYAN, OMOBOLA ADEOLA
O'LAUGHLIN, THOMAS J
OLSSON, YOUNG SOOK
OMANDAM, ALEXANDRA T
ONYEJE, OGGONNA I
ORAVEC, RICHARD
ORITA, KEVIN
ORTANEZ, CHONA
ORTEGA, KASSANDRA
ORTIZ, MYRA
ORTIZ, SUZANNE
OSTOVAR, FARSHAD
OSWALT, BRIDGET M
OTCHERE, JUSTICE
OUM, MUHAMAD
OUNKHAM, MICHELLE
OVERSTREET, TINA M

OVERSTREET, TINA M
OVERSTREET, TINA M
OVERSTREET, TINA M
PALANISWAMY, CHANDRASEKAR
PANNU, AMRITPAL
PAPA, KHRISTINE
PARDO, NATALIE
PAREDES, MARIA CECILIA UNAY
PARK, DONGHUI
PARK, JI YOUNG
PARK, MOON J
PARVEEZ, RABIA
PARVEZ, SANAH ZAINAB
PASCUZZO, JOSEPH
PATEL, AJAY M
PATEL, ANUPAMA
PATEL, CHETAN
PATEL, HARDIK J
PATEL, SURENDRA
PATLAN, JUAN
PATTY, LYNN CAROL
PAUL-COKER, DESMOND
PAYNE, KATRINA M
PENA, DAVID
PEREZ, BRITTANY M
PEREZ, MELANIE P
PEREZ, MICHELLE
PEREZ, NINA
PEREZ, SAUL A
PERKINS, CHRISTOPHER R
PERRY, LORILEE A
PETKAR, ANIMESH
PETTIGREW, HOWARD
PETTUS, SONYA
PHAN, ANDREW
PHANUCHARAS, JIM PEDRAM
PHOMPOR, KHOUNE
PIETZ, JEFFREY
PIMENTEL, ESMERALDA
PINASCO, MICAH ALBERT
PIRSAHELI, REZA
PITCHER, TRACY
PIZZO, MICHAEL R
PLASENCIA, DALIA
POLACH, JACQUELIN
POLACH, PATRICK ALLEN
POLIYEDATH, ANUPAMA
PONCE, MARTHA

POONIA, MOHINDER S
POST, JULIE ANN
POTTS, RONNIE
POULSEN, ERIC
PRENTICE, ANNE M
PRESCOTT, DANIEL
PRESS, LEAH
PRICE, ROBERT
PRIYANKA, MEGHNA
PRUETT, BENJAMIN
PRYATEL, KRYSTA A
PULIDO, HANNAH
PUNSALAN, ALICIA H
PUNSALAN, ALICIA H
PYREDDY, LOVRDU
QADRI, SYED
QUEZADA, MARIA DE JESUS
RAGHID, MEHMIYA
RAHAL, HARDIP
RAHMAN, NADEEM
RAHN, ANDREW R
RAI, ABHISHEK
RAINWATER, HAROLD
RAINWATER, MATTHEW G
RAJANI, ANAND KRISHNAKUMA
RAJPAL, RANJIT
RAM, PANKAJ
RAMACHANDRAN, RAJARAJESHWARI
RAMEZANI, ROSHANAK
RAMIREZ, GRISELL
RAMIREZ, MARIA
RAMIREZ, PATRICIA
RAMOS, HECTOR
RANA, NAEEM A
RANDHAWA, HARI
RANDHAWA, TEJINDER
RAO, RAVI D
RASHID, SAQIB
RASHIDIAN, ALI
RASMUSSEN, HENNING
RATHI, SHRADHA
RATTU BOAN, EVELYN BEATRIX
RAUF, KHALID
READING, JENNA MARIE BURCHFIELD
REAL, LESLIE
REBEL, CYRIL
REDDIN, BRIANNE P
REDDY, ABISHEK P

REDDY, KIRAN M
REMINGTON, RODNEY
RESTREPO, MIGUEL S
REYES, MICHELLE
REYES, NATHANAEL
REYES, NICHOLAS
REYNA-BLANCO, KENIA Y
REZAPOOR, PARISA
REZKALLA, NADER
RIEL, JESSI ELIZABETH
RILEY, ASHLEY M
RIOLO, CATHERINE M
RITCHEY, WILLIAM J
ROBERSON, GERALYN A
ROBERTS, MERCEDES
RODRIGUEZ-PLA, ALICIA
ROGERS-NEUFELD, BONNA
ROHLFING, GEOFFREY
ROMERO, CHRISTINA
ROPER, JOHN A
ROQUE, RONALD REGIN
ROSALES, LOUIS A
ROSEL, MARICELA
ROSHAN, BAKHT
ROSS, STACY NICOLE
ROTH, TIMOTHY J
RUBIO, EVA
RUDA, JOSEPH F
RUELAN, JUSEL M
RUIZ, FELIPE
RUIZ, ROXANNE
RUPLEY, KATHRYNE F
RUSKELL, LAUREN M
RYU, HYO JIN
SABLAN, OSCAR
SADIQ, MOEEZ
SADLER, PATRICK CARY
SAEED TEHRANI, OMID
SAHOTA, JASDIP
SAIGAL, HARSH
SAINI, RAJPREET SINGH
SAKAUYE, CAROLYN
SALAHUDDIN, AZHAR
SALCEDO, KELLY
SALIM, REEMA
SAMANIEGO, MIREYA
SAMPLIN, ERIN
SAMRAO, SATWANT

SANAM, KUMAR
SANATHARA, VISANT A
SANATI, AMIR
SANCHEZ, DEBRA L
SANCHEZ, MARSIAL
SANCHEZ-RIVERA, NEYSHA J
SANDEZ, SANDRA
SANDHU, DALPINDER S
SANDHU, GURPREET
SANDHU, LAKHJIT S
SANDHU, ONKAR
SANDHU, SURINDER SINGH
SANGHA, VEERPAL
SANO, ALICE T
SANTOS, ISOBEL Y
SAPRAJ, KULJIT
SARRADET, ALISTAIRE
SARWAR, NIGHAT
SAUL, LAUREN J
SAWYER, DANIEL
SAYLES, KYLEIGH S
SAZGAR, SASAN
SCHIFF, WILLIAM M
SCHILLING, THOMAS D
SCHMIDT, CLAIR
SCHRAMM, DEBORAH L
SCHULZ, MICHELE M
SCHULZE, JONATHAN
SEAGRAVES, DENISE
SEKHON, BALJIT
SEKHON, SANDEEP S
SEKHON, SWARNPAL
SENG, SAKONA
SEPEHR, SAMAN
SEVEL, GARRY S
SHAH, KANDARP K
SHAH, KATHERINE
SHAH, MAULIK N
SHAH, SANKET S
SHAH, UDAYAN KANDARP
SHAH, VIDHI PANKAJ
SHAHINFAR, KATAYOON
SHAHROKHI, SHOLEH
SHAHZAD, AYESHA
SHALYGINA, KRISTINA
SHARIFI, EMILE
SHARMA, ABHA
SHARMA, ANIRUDH

SHARMA, VIKRAM
SHATZEL, ALAN J
SHEIKH, MAHWISH
SHEIKH, MOHAMMAD SAAD
SHEIKH, RAZIA A
SHEIKH, ZAFAR I
SHERMAN, BRET E
SHETTY, NIKITA
SHETTY, SHAILESH
SHIRTS, MATTHEW B
SHLIMUN, NICOLE A
SHOROYE, OLASENI
SHUCHLEIB-CUNG, ARIEL
SHUTE, THOMAS
SHWEIKEH, FARIS
SIADA, SAMMY S
SIDDIQI, MOHAMMED
SIDDIQI, SAIF H
SIDDIQUI, MOHAMMED M
SIDDIQUI, VAJEEH
SIDHU, BALJEET
SIDHU, GURCHARAN
SIDHU, JAIPAL
SIDHU, JASWINDER
SIDHU, JATINDER
SIDHU, RABINDER S
SIDHU, SUKHAMPAL
SIMJEE, SALMA
SIMMONS, JAMES M
SIMONS, MATTHEW J
SINGH, AANDLEEB
SINGH, AJAYPREET
SINGH, ATINDERPAL
SINGH, GURMANT PAL
SINGH, HARWINDER
SINGH, JAGDEV
SINGH, JASJIT
SINGH, KANWAL J
SINGH, LOVENEET
SINGH, MANU
SINGH, NAVJIT
SINGH, PARDEEP J
SINGH, RANJEET
SINGH, RIPJIT
SINGH, SHAILINDER
SINGH, SUKHVIR
SINGLETON, CHRYSTAL
SINHA, DEBARSHI

SISON, MARK A
SITTS, KAITLYN M
SIVASUBRAMANIAN, ANITA
SKAFF, PETER T
SLATE, HOPE G
SMITH, AARON N
SMITH, CHRISTOPHER BRYAN
SMITH, RYAN
SMITH, WILLIAM
SOEWONO, KATARINA
SOGHOMONIAN, ARA K
SOHN, CHARLES H
SOLDO, STEPHEN
SOLEIMANI-FARD, ALIREZA
SOLER, CYNTHIA
SOLTIS, WILLIAM EZRA
SONI, BIKRAM
SORENSEN, CAMIE
SOTO, SALOME A
SOUSA, KYNDRA M
SOUZA, REBECCA S
SOUZA, THERESA
SROUJI, SAIF
STANFORD, STEVE R
STANICH, MATTHEW ALAN
STANISLAUS, MAREENI T
STANLEY, DOUGLAS S
STECKER, MARK M
STEELE, FINNIAN M
STEINBERG, BENJAMIN JOSEP
STEINKE, ROYDON G
STENGER, DENISE
STINSON, TYLER
STOBBE, BRITTANY
STOCKDALE, JO ANN
STUART, PATRICK JOHN
SU, STEVE W
SUFU, KANWARJIT
SUN, WILLIAM
SUNDRANI, ROHIT
SUNG, IK HYUN
SURI, ANURADHA
SURI, MADHAV
SURI, SONIA
SVOBODA, JAMES
SWANSON, JOHN
SWARTZ, DANIEL
SYED, SUMON

TAMER, SAMA
TANG, MAYCKY
TANG, MINH
TAPPIN, KEENIA M
TATULYAN, MAREZA
TEASLEY, LAURA A
TEKLE, TEWODROS
TELESMANIC, MICHELLE L
TELLES, CONNOR JAMES
TELLES, JOHN G
TELLEZ, LAURA ALICIA
TEVENDALE, ROBERT
THACKER, RUPA
THAKKAR, JAY HARSHADBHAI
THAMPY, ANILA
THAXTER, STEVEN T
THIESEN, JORDAN D
THIND, RAVNEET
THOMAS, MICHELLE A
THOMAS-URIBE, MONIKA
THWEATT, ELAINE WALKER
TILLERY, COLLEEN
TISNA, BERENICE
TIWARI, SUBHIKSHYA
TOBIN, RYAN JAMES
TOFIGHI, SALAR
TOM, CYNTHIA
TOOHEY, TARA PUNDIAK
TOWER, SEAN
TRAN, DENISE
TRUONG, KEVIN
TSANG, ALEXANDER
TSENG, IAN K
TURNAGE, ANDREA M
UDANI, SANJAY
UGWU-OJU, CHARLES
UNG, FEEI FEEI WU
UNVERDI, MAHMUT
URITA, LEA ANN
VAID, RAJESH ROY
VAKANI, VISHAL
VAKILI, GISELL
VALLAPU, HEMANTH K
VALLESER, STEPHANIE
VAN DYNE, TIMOTHY A
VAN PUTTEN, CLIFTON
VAN WOUDEBERG, CHRISTINE
VANAM, RAJANI

VANG, CHAO
VANG, LEE
VANG, MAIKA
VANWAGENEN, REED E
VARGAS, MARISELA
VARGHESE, RUBEN
VAUGHAN, ANNE MARIE
VAZIRIAN, MOHSEN
VAZQUEZ, CESAR
VEGA, CRISTINA M
VEIGA, ANGELA D
VELASCO, ALFONSO
VELASCO, ROCES BELTRAN
VEMURI, SRAVAN
VERDUGO, VICTOR
VIDRIH, JOHN
VIGG, AVANTI
VILLARREAL, KATHRYN
VIRK, GURJIWAN S
VIRK-DULAI, AMNEET
VISHWANATH, VASANTH
VIVEKANANTHAN, VANATHY
VOLKOV, PAVEL
VON KAENEL, WILLIAM E
VONG, ALVIN
VUE, ELIZABETH M
WADE, JOHN S
WALKER, KOLBY
WALL, ANDREW
WANG, YI
WARNER, GREGORY C
WATERS, RICHARD D.
WEILERT, MICHAEL
WENTHE, MARTIN T
WESSEL, TALINA F
WETTENGEL, GRACE
WHITE, PAUL A
WIENS, JERYL J
WIGGINS, MICHAEL
WILLIAMS, CHRISTOPHER
WILLIAMS, NICOLE GENEVIEVE
WIN, MIN SOE
WOLFF, MIA
WONG, SHELBY
WOO, BRIAN M
WOODBURY, BRANDON
WU, EIJEAN
XIONG, IA

XIONG, MAI
XU, JENNIFER
YAKHCHALIAN, PARISHAD



EXHIBIT C

Trinity Health West Region 2025 Federal Poverty Level (FPL) & Charity Adjustment Guidelines

FPIL Effective 1/16/25	100%	138%	200%	201%	300%	350%	400%
Family Size	Income	Income to:	Income Over				
1	\$15,650	\$21,597	\$31,300	\$31,457	\$46,950	\$54,775	\$62,600
2	\$21,150	\$29,187	\$42,300	\$42,512	\$63,450	\$74,025	\$84,600
3	\$26,650	\$36,777	\$53,300	\$53,567	\$79,950	\$93,275	\$106,600
4	\$32,150	\$44,367	\$64,300	\$64,622	\$96,450	\$112,525	\$128,600
5	\$37,650	\$51,957	\$75,300	\$75,677	\$112,950	\$131,775	\$150,600
6	\$43,150	\$59,547	\$86,300	\$86,732	\$129,450	\$151,025	\$172,600
7	\$48,650	\$67,137	\$97,300	\$97,787	\$145,950	\$170,275	\$194,600
8	\$54,150	\$74,727	\$108,300	\$108,842	\$162,450	\$189,525	\$216,600
Additional Persons, add	\$5,500	\$7,590	\$11,000	\$11,055	\$16,500	\$19,250	\$22,000
Charity Write-off Boise	100%	100%	100%	75.30%	75.30%	75.30%	0%
Charity Write-off Nampa	100%	100%	100%	76.90%	76.90%	76.90%	0%
Charity Write-off Ontario	100%	100%	100%	75%	50%	25%	0%
Charity Write-off Baker	100%	100%	100%	75%	50%	25%	0%
Charity Write-off Fresno	100%	100%	100%	79.10%	79.10%	79.10%	0%
Uninsured Discount	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%

Figures are Gross Family income
Partial Discount updated 8/1/25